विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 68

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	4207.49	-108.82	4098.67	5841.44	-74.81	5766.63	6805.85	-79.27	6726.58	8710.78	52.61	8763.39
पूंजी	***9106.18***	...	*9106.18*	*958.30*	*1.00*	*959.30*	*1278.52*	...	*1278.52*	*3489.22*	*0.10*	*3489.32*
जोड़	**13313.67**	**-108.82**	**13204.85**	**6799.74**	**-73.81**	**6725.93**	**8084.37**	**-79.27**	**8005.10**	**12200.00**	**52.71**	**12252.71**

	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय - आर्थिक सेवा	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35.57	35.57
2. सीपीएसई सहायता													
2.01 राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम लिमिटेड	6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	367.00	...	367.00
2.02 टिहरी पन बिजली विद्युत निगम लिमिटेड	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00
2.03 दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	0.10
2.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र बिजली विद्युत निगम	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	166.13	...	166.13
2.05 बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन													
2.05.01 राजस्व व्यय	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	0.10
2.05.02 घटाए-राजस्व प्राप्तियां	0801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-98.28	-98.28
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*-98.18*	*-98.18*
2.06 एनटीपीसी के लिए कोयला उत्पादक क्षेत्र अर्जन	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	232.50	...	232.50
2.06.01 घटाएं-प्राप्तियां	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-232.50	...	-232.50
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- सीपीएसई सहायता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*573.13*	*-98.08*	*475.05*
3. सांविधिक प्राधिकरण													
3.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.50	90.04	96.54
	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.50	...	3.50
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*10.00*	*90.04*	*100.04*
3.02 संघ राज्य क्षेत्रों और गोवा के लिए संयुक्त जेईआरसी की स्थापना करना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.81	6.81
3.03 अपीली विद्युत अधिकरण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.97	10.97

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3.04 विनियामक मंच (एफओआर)	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
3.05 सीईआरसी फंड	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55.50	55.50
3.05.01 सीईआरसी फंड से पूरित धनराशि	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-55.50	-55.50
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- सांविधिक प्राधिकरण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*11.00*	*107.82*	*118.82*
4. *अनुसंधान और प्रशिक्षण*													
4.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.00	...	125.00
4.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33.00	7.40	40.40
जोड़- अनुसंधान और प्रशिक्षण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*158.00*	*7.40*	*165.40*
5. *दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना*													
5.01 ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2806.98	...	2806.98
5.02 पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	193.02	...	193.02
जोड़- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*3000.00*	...	*3000.00*
6. *समेकित विद्युत विकास योजना*													
6.01 आईपीडीएस - अनुदान	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2761.96	...	2761.96
6.02 आईपीडीएस- ऋण	6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2384.19	...	2384.19
6.03 पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	156.76	...	156.76
	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	197.09	...	197.09
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*353.85*	...	*353.85*
जोड़- समेकित विद्युत विकास योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*5500.00*	...	*5500.00*
7. *संरक्षण और ऊर्जा दक्षता*													
7.01 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो													
7.01.01 कार्यक्रम घटक	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	63.29	...	63.29
7.01.02 ईएपी घटक	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.71	...	0.71
जोड़- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*64.00*	...	*64.00*
7.02 ऊर्जा संरक्षण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*164.00*	...	*164.00*
8. *विद्युत तंत्र सुदृढीकरण*													
8.01 स्मार्ट ग्रिड	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
8.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
8.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष में ब्याज इमदाद	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.04 डिस्कॉम के ऋण अदायगी का फिर से निर्धारण के लिए वित्तीय सहायता	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
8.05 विद्युत तंत्र संचालन कंपनी	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	81.21	...	81.21
8.06 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
8.07 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत तंत्र सुधार													
8.07.01 कार्यक्रम घटक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	124.00	...	124.00
8.07.02 ईएपी घटक	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	110.00	...	110.00
जोड़- अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत तंत्र सुधार		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*234.00*	...	*234.00*
8.08 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में प्रेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	273.00	...	273.00
8.09 मूल्यांकन अध्ययन और परामर्श सेवा कोष	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
8.10 विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक अवार्ड स्कीम	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.54	...	0.54
जोड़- विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*893.87*	...	*893.87*
9. विद्युत तंत्र विकास कोष													
9.01 विद्युत तंत्र विकास कोष अंतरण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1900.00	...	1900.00
9.02 पीएसडीएफ से पूरित विद्युत तंत्र विकास योजना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	400.00	...	400.00
9.03 विद्युत तंत्र विकास कोष और गैस आधारित उत्पादन क्षमता का उपयोग	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1500.00	...	1500.00
9.04 घटाएं - विद्युत तंत्र विकास कोष से पूरित धनराशि	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1900.00	...	-1900.00
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1900.00*	...	*1900.00*
सं.अ. 2015-2016													
10. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.75	27.21	27.96	1.24	30.47	31.71	1.24	29.67	30.91	...	...	...
11. ब्याज का लेखांकन समायोजन													
11.01 टिहरी हाइड्रो विकास निगम (टीएचडीसी)	2801	...	91.85	91.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.02 निवल प्राप्तियां	6801	...	-91.85	-91.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
सामान्य													
12. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	...	72.88	72.88	28.70	79.41	108.11	10.73	78.00	88.73	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	4801	...	...	...	1.30	...	1.30	1.00	...	1.00	...	...	...
	जोड़	...	*72.88*	*72.88*	*30.00*	*79.41*	*109.41*	*11.73*	*78.00*	*89.73*	...	...	...
13. *अनुसंधान और विकास*													
13.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	79.82	...	79.82	125.00	...	125.00	42.00	...	42.00	...	...	...
14. *प्रशिक्षण*													
14.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	2801	8.89	6.40	15.29	40.00	6.40	46.40	30.60	6.40	37.00	...	...	...
15. मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. *केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग*													
16.01 सीईआरसी निधि	2801	...	30.32	30.32	...	44.33	44.33	...	44.33	44.33	...	...	...
16.02 सीईआरसी निधि से पूरी की गई राशि	2801	...	-30.32	-30.32	...	-44.33	-44.33	...	-44.33	-44.33	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2801	2874.41	...	2874.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. ग्रामीण विद्युतीकरण -डीडीयूजीजेवाई	2801	...	...	...	4320.00	...	4320.00	4320.00	...	4320.00	...	...	...
19. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	0.05	...	0.05	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
20. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	8.17	8.17	...	10.15	10.15	...	9.39	9.39	...	...	...
21. संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त जेईआरसी की स्थापना	2801	...	5.42	5.42	...	6.33	6.33	...	5.84	5.84	...	...	...
22. विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	0.15	...	0.15	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	...	...	...
23. ऊर्जा संरक्षण	2801	32.73	...	32.73	60.00	...	60.00	55.00	...	55.00	...	...	...
24. *ऊर्जा दक्षता ब्यूरो*													
24.01 ईएपी भिन्न घटक	2801	9.00	...	9.00	48.00	...	48.00	43.00	...	43.00	...	...	...
24.02 ईएपी घटक	2801	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो		*9.00*	...	*9.00*	*50.00*	...	*50.00*	*45.00*	...	*45.00*	...	...	...
25. एपीडीआरपी	2801	16.78	...	16.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. नियामक क्षमता निर्माण के फोरम को सहायता	2801	0.75	...	0.75	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
27. लाहोरी नागपाला एचईपी	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28. डिस्कोम की ऋण पुनर्संरचना के लिए वित्त सहायता	2801	...	...	...	74.20	...	74.20	1.00	...	1.00	...	...	...
29. एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	6801	578.47	...	578.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30. आईपीडीएस हेतु पीएफसी को ऋण	6801	...	...	...	384.00	...	384.00	534.65	...	534.65	...	...	...
31. राष्ट्रीय बिजली निधि को ब्याज सब्सिडी	2801	1.00	...	1.00	20.00	...	20.00	7.00	...	7.00	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
32. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	4801	55.79	...	55.79	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	...	...	...
33. एनटीपीसी के लिए कोयला--धारित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4801	73.74	...	73.74	993.00	...	993.00	200.00	...	200.00	...	...	...
33.01 घटाएं वसूलियां	4801	-73.74	...	-73.74	-993.00	...	-993.00	-200.00	...	-200.00	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34. डीवीसी को पूंजी अनुदान सहायता	4801	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य		**3657.84**	**92.87**	**3750.71**	**5135.50**	**103.29**	**5238.79**	**5078.78**	**99.63**	**5178.41**	**...**	**...**	**...**
ताप विद्युत उत्पादन													
35. बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन													
35.01 राजस्व व्यय	2801	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
35.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-228.88	-228.88	...	-208.57	-208.57	...	-208.57	-208.57	...	...	...
	कुल	*...*	*-228.88*	*-228.88*	*...*	*-207.57*	*-207.57*	*...*	*-208.57*	*-208.57*	...	...	...
पारेषण और वितरण													
36. स्मार्ट ग्रिड	2801	...	...	...	40.00	...	40.00	2.25	...	2.25	...	...	...
37. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को सहायता	3602	200.00	...	200.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38. दीनदयाल उपाध्याय फीडर स्प्रेशन स्कीम	2801	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39. एकीकृत विद्ययुत विकास योजना	2801	50.00	...	50.00	191.00	...	191.00	266.64	...	266.64	...	...	...
40. विद्ययुत प्रणाली प्रचालन कंपनी (पोसोको)	4801	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
41. श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन	4801	268.14	...	268.14	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	...	...	...
42. हरित ऊर्जा कॉरिडोर	4801	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
43. विद्ययुत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)													
43.01 विद्ययुत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को अंतरण	2801	185.46	...	185.46	300.00	...	300.00	1375.00	...	1375.00	...	...	...
43.02 पीएसडीएफ से पूरा करने के लिए विद्ययुत प्रणाली विकास निधि योजना	2801	185.46	...	185.46	300.00	...	300.00	175.00	...	175.00	...	...	...
43.03 पीएसडीएफ से पूरित गैस आधारित विद्युत निर्माण कंपनी की उपयोग की योजना	2801	...	...	...	...	...	...	1200.00	...	1200.00	...	...	...
43.04 विद्ययुत प्रणाली विकास निधि से ली गई धनराशि	2801	-185.46	...	-185.46	-300.00	...	-300.00	-1375.00	...	-1375.00	...	...	...
	कुल	*185.46*	*...*	*185.46*	*300.00*	*...*	*300.00*	*1375.00*	*...*	*1375.00*	...	...	...
जोड़-पारेषण और वितरण		**1203.60**	**...**	**1203.60**	**783.00**	**...**	**783.00**	**1895.89**	**...**	**1895.89**	**...**	**...**	**...**
जोड़-विद्युत		**4861.44**	**-136.01**	**4725.43**	**5918.50**	**-104.28**	**5814.22**	**6974.67**	**-108.94**	**6865.73**	**...**	**...**	**...**
44. अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में प्रेषण	2801	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
तंत्र सुदृढ़ीकरण													
45. छह पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत तंत्र परियोजना सुधार													
45.01 गैर-ईएपी	2801	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45.02 ईएपी	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- छह पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत तंत्र परियोजना सुधार		*150.00*	...	*150.00*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
पारेषण और वितरण													
46. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान													
46.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46.02 ग्रामीण विद्युतीकरण - डीडीयूजीजेवाई	2552	...	...	...	180.00	...	180.00	180.00	...	180.00	...	...	...
46.03 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर छः पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46.03.01 ईएपी -भिन्न घटक	2552	...	...	...	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	...	...	...
46.03.02 ईएपी घटक	2552	...	...	...	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	...	...	...
जोड़- अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर छः पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना		...	...	...	*250.00*	...	*250.00*	*250.00*	...	*250.00*	...	...	...
46.04 एपीडीआर के तहत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46.05 एकीकृत विद्युत विकास स्कीम	2552	...	...	...	9.00	...	9.00	67.59	...	67.59	...	...	...
46.06 आईपीडीएस के अंतर्गत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	16.00	...	16.00	133.17	...	133.17	...	...	...
46.07 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	...	...	...
46.08 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	74.00	...	74.00	26.70	...	26.70	...	...	...
46.09 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	6552	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान		...	...	...	*680.00*	...	*680.00*	*808.46*	...	*808.46*	...	...	...
47. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश													
47.01 नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. में निवेश	4801	41.03	...	41.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47.02 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6801	436.98	...	436.98	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	...	...	...
47.03 नीपको के लिए ऋण	6801	7725.77	...	7725.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
47.04 नीपको के लिए ऋण	6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश		*8203.78*	*...*	*8203.78*	*200.00*	*...*	*200.00*	*300.00*	*...*	*300.00*	*...*	*...*	*...*
48. डेसू के पिछले बकाया के निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहायता	7602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49. वास्तविक वसूलियां	2801	-2.30	-0.02	-2.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*13313.67*	*-108.82*	*13204.85*	*6799.74*	*-73.81*	*6725.93*	*8084.37*	*-79.27*	*8005.10*	*12200.00*	*52.71*	*12252.71*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	23239.25	23239.25	...	23000.00	23000.00	...	25000.00	25000.00	...	30000.00	30000.00
2. राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	436.98	2178.47	2615.45	200.00	3979.89	4179.89	300.00	3928.00	4228.00	367.00	3590.72	3957.72
3. दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	12801	...	1482.00	1482.00	...	3682.93	3682.93	...	3088.32	3088.32	...	3302.57	3302.57
4. पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)	12801	41.03	1509.15	1550.18	75.00	1216.60	1291.60	27.70	1752.63	1780.33	166.13	890.91	1057.04
5. सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	515.13	515.13	...	1175.00	1175.00	...	800.00	800.00	...	1000.00	1000.00
6. टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	55.79	574.23	630.02	30.00	1550.31	1580.31	30.00	1216.24	1246.24	40.00	1399.37	1439.37
7. भारतीय पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	22456.00	22456.00	...	20000.00	20000.00	...	22500.00	22500.00	...	22500.00	22500.00
8. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड	12801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5000.00	5000.00
जोड़		**533.80**	**51954.23**	**52488.03**	**305.00**	**54604.73**	**54909.73**	**357.70**	**58285.19**	**58642.89**	**573.13**	**67683.57**	**68256.70**
ग. योजना परिव्यय													
1. विद्युत	12801	13313.67	51954.23	65267.90	6119.74	54604.73	60724.47	7275.91	58285.19	65561.10	10980.00	67683.57	78663.57
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	680.00	...	680.00	808.46	...	808.46	1220.00	...	1220.00
जोड़		**13313.67**	**51954.23**	**65267.90**	**6799.74**	**54604.73**	**61404.47**	**8084.37**	**58285.19**	**66369.56**	**12200.00**	**67683.57**	**79883.57**

1. **सचिवालय:** विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

2.01. **एनएचपीसी लिमिटेड:** एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना केंद्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित, दक्ष और किफायती निष्पादन एवं प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सन् 1975 में की गई थी। एनएचपीसी भारत सरकार की अनुसूची क (मिनी रत्न) का एक उद्यम है। पूंजी परिव्यय वर्ष 2016-17 के दौरान उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के अनुसार चूटक एचईपी/निम्मो बाजगो के लिए निधियों हेतु आवश्यकता को कुछ हद तक पूरा करने के लिए है।

2.02. **टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टीएचडीसी):** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 3:1 के अनुपात में इक्विटी-साझा की जाती है। यह

कंपनी भागीरथी घाटी में 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लैक्स और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए जुलाई, 1988 में नियमित की गई थी। यह पूंजीगत परिव्यय वर्ष 2016-17 के दौरान उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के अनुसार विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी पर होने वाले व्यय को कुछ हद तक पूरा करने के लिए है।

2.03. **दामोदर घाटी निगम (डीवीसी):** डीवीसी की स्थापना दामोदर घाटी में सिंचाई, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, उत्पादन, पारेषण एवं हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत के प्रोत्साहन एवं प्रचालन के लिये सन् 1948 में की गई थी ।

2.04. **नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको), जो कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 1976 को स्थापित अनुसूची 'क' मिनिरत्न कम्पनी है, का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास तथा चालू करने के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष बल देते हुए भारत और विदेश में विद्युत क्षमता का विकास करना है। इससे देश के समग्र विकास और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह पूंजीगत परिव्यय उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के अनुसार कामेंग एचईपी पर होने वाले व्यय को कुछ हद तक पूरा करने के लिए है।

3.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ ही साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। सीईए केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति पर सलाह देता है तथा विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालीन भावी योजनाएं बनाता है। यह विद्युत क्षेत्र के सभी खंडों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, अभिलेखन तथा उन्हें सार्वजनिक करने, अन्वेषण करने एवं अनुसंधान करने को बढ़ावा देने को भी अधिदेशित करता है।

3.02. **गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया गया है । संयुक्त आयोग के व्यय का केंद्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा ।

3.03. **विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है । यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है । पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एपटेल उस अधिनियम के उद्देश्य से अपीलीय अधिकरण है ।

3.04. **विनियामक मंच:** क्षमता निर्माण और परामर्श प्राप्त करने के लिए विनियामकों के मंच के लिए निधियां मुहैया कराये जाने का प्रावधान है।

4. **अनुसंधान एवं प्रशिक्षण:**

4.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगुलुरू:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और अवयवों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है ।

4.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई):** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है ।

5. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:**

5.01-5.02. **ग्रामीण विद्युतीकरण, फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसरंचना:** भारत सरकार ने एक नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसका उद्देश्य (क) कृषि और गैर-कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग में डिस्कॉमों की सुविधा के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संवर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वियन के लिए डिस्कॉमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है।

6. **एकीकृत पावर विकास योजना:**

6.01-6.03. **शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली सुधार, वितरण क्षेत्र में मीटरिंग एवं आईटी समर्थतता:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24 7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है, आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं। भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है। इस योजना में अनुदान और ऋण घटक दोनों हैं।

7. **संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता:**

7.01. **ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई):** बीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया की शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण। सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

7.02. **ऊर्जा संरक्षण:** जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता लाने के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखी जाएंगी। नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी (एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा।

8. **विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:**

8.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन बिन्दु से उपभोग बिन्दु तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित करता है।

8.02. **हरित ऊर्जा गलियारा:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व पर समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

8.03. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम):** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है। पात्रता की पूर्वशर्त राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार उपायों से संबद्ध है तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों से संबद्ध है।

8.04. **डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना को वित्तीय सहायता:** यह स्कीम राज्य डिस्कॉमों के टर्नअराउंड को समर्थ बनाने तथा उनकी दीर्घकालीन संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार तथा अनुमोदित की गई है। इस स्कीम में, केंद्र सरकार की सहायता द्वारा, ट्रांजिशनल वित तंत्र के माध्यम से राज्य डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय टर्न अराउंड को हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

8.05. **पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको):** आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 10.12.2014 को आयोजित अपनी बैठक में पोसोको को विद्युत मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

8.06. **श्रीनगर से बरास्ता कारगिल लेह तक 220 केवी पारेषण लाइनः:** आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2.1.2014 को आयोजित अपनी बैठक में, जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) में एलुस्टांग (श्रीनगर) से लेह (बरास्ता द्रास, कारगिल एवं खलस्ती 220/66 पीजीसीआईएल उपकेंद्र) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण तथा द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह उपकेंद्रों के लिए 66 पीजीसीआईएल अंतर संयोजन प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

8.07. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में (सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश के सिवाय) विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना:** विश्व बैंक छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के लिए उक्त नई परियोजना के लिए वित्त पोषण करेगा (डीईए तथा योजना आयोग के परामर्श पर, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों अर्थात अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखा गया था)। अतः सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश की अंतः-राज्य पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अलग कर दिया गया है।

8.08. **अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की जा चुकी हैं।

8.09. **मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्श के लिए निधियां:** यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए है।

8.10. **कंप्रिहेंसिव अवार्ड स्कीम:** विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालन, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, पारेषण और वितरण यूटिलिटियों तथा ग्रामीण वितरण के फ्रेंचाइजियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा शील्ड और प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

9. **पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फंड (पीएसडीएफ):**

9.01-9.04. **पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फण्ड (पीएसडीएफ):** स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कॉमों के लिए सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।